



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082023-247772
CG-DL-E-02082023-247772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3300]
No. 3300]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

का.आ. 3450(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 15 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, संख्यांक का.आ. 2276(अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 की सारणी में क्र.सं.-1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

- " 1. श्रीमती ममता संजीव दूवे, अध्यक्ष;"
टी-वी/35, रेलवे एन्कलेव,
सेन मार्टिन मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-110021

[फा. सं. जे-11013/43/07-आईए.॥(१)(पार्ट.॥)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2276 (अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 754(अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2023

S.O. 3450(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 2276(E), dated the 11th June, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, in the Table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

- “1. Mrs. Mamta Sanjeev Dubey, Chairman;”
T-V/35, Railway Enclave,
San Martin Marg, Chanakyapuri,
New Delhi -110021

[F. No. J-11013/43/07-IA.II(I)(Pt.)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2276(E), dated the 11th June, 2021 and subsequently amended *vide* S.O. 754(E), dated 16th February, 2022.